प्रेषक

निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ़।

सेवा में

1. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा गुड़गांव।
2. सभी जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य।
3. सभी प्राचार्य, डाईट हरियाणा राज्य।

यादी कमांक 2/ 5– 2010 एच0आर0एम0ई0(5)
दिनांक, चण्डीगढ़ 8.7.2010

विषयः– चतुर्थ श्रेणी से लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु मामलें भेजने बारें।

उपरोक्त विषय के सदर्भ में।

आपसे अनुरोध है कि आपके संस्थान/जिले में कार्यरत नियमित आधार पर नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के निम्नानुसार पदोन्नति मामलें 30.7.2010 तक हर अवस्था में निदेशालय को विशेष वाहक के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें।

कमांक	पद का नाम	श्रेणी का नाम	नियमित नियुक्ति तिथि
1	चतुर्थ श्रेणी	सामान्य	31.12.1995 तक
2	–सम–	अनुसूचित जाति	31.12.1998 तक

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति नियमित आधार पर उपरोक्त वर्णित तिथि तक हुई हो के मामलें निम्नलिखित दस्तावेजों सहित भिजवाना सुनिश्चित करें:–

1. पदोन्नति प्रोफार्मा
2. मैट्रिक पास की डी0एम0सी0 सत्यापित प्रति । जिन्होने 1.7.2010 तक किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा हिन्दी/ संस्कृत सहित पास की हो।
3. उनके विरूद्ध जांच शिकायत एवं अपराधिक मामलें लम्बित न होने बारें प्रमाण पत्र।
4. उनकी पूर्ण निजि मिसल जिसमें वर्ष 2009–2010 तक की पूर्ण गोपनीय रिपोर्ट लगी हो तथा सभी नियुक्ति प्रमाण पत्र एवं स्थानान्तरण आदेशों की प्रति जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो (सहमति) उल्लेख हो कि उक्त कर्मचारी का स्थानान्तरण प्रशासकीय आधार पर अथवा उसकी सहमति से किया गया हो। सत्यापित समरी सीट
5. कर्मचारी का पूर्ण आई0डी0 नम्बर , स्कूल का आई0डी. नम्बर।
6. कर्मचारी की पूर्ण सेवा पंजी ।
7. उक्त कर्मचारी की संचित अथवा अंसचित प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने या न रोकने बारें स्पष्ट प्रमाण पत्र।

आपसे यह भी अनुरोध है कि अपने संस्थान/ जिले में किसी योग्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पदोन्नति मामला लम्बित न होने बारे प्रमाण पत्र भी भेजा जायें। निदेशालय में पहले भेजे गये चतुर्थ श्रेणी से लिपिक के पद पर भेजे गये पदोन्नति मामलें उनके कार्यालय के किसी कर्मचारी को निदेशालय में उक्त पत्र उन्हे प्राप्त होते ही किसी भी कार्यदिवस में भेजकर मामलें वापिस मगवाना भी सुनिश्चित करें।

सहायक निदेशक एच0आर0एम0ई0
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ़